दीवानी मूल प्रकरण संख्यां.–83/2026
एन.सी.बी नम्बर :– 83/2026
पन्नालाल बनाम अख्तर रशीद
आदेश दिनांक 17.08.2026

न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र कुमार,आर जे एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या–83/2026
एन.सी.वी. नंबर :–83/2026

पन्नालाल बनाम अख्तर रशीद

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सिविल प्रंक्रिया संहिता

उपस्थितः–
1. श्री सी.पी.जैन –विद्वान अधिवक्ता –प्रार्थी/प्रतिवादी।
2. श्री पी.मारू –विद्वान अधिवक्ता–अप्रार्थी/वादी

:: आदेश :: **दिनांक– 17.08.2026**

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सिविल प्रंक्रिया संहिता दिनांक 01.04.2024 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा विक्रय पत्र निरस्त कराने का वाद प्रस्तुत किया गया है और वाद की अनवीक्षा के दौरान आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विकल्प में 27,00,000 रूपये की मांग की गई है। प्रतिवादी द्वारा आदेश 14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2022 को प्रस्तुत किया था। वादी द्वारा उक्त वाद के अतिरिक्त प्रतिवादी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया था जिसमें दिनांक 10.05.2013 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर क्रंम संख्या 2 उदयपुर में पेश हुआ था जो न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर क्रंम संख्या 1 उदयपुर में दिनांक 20.11.2017 को अंतरित हुआ है। उक्त आपराधिक प्रकरण में खेमराज डांगी, प्रतिवादी अख्तर रशीद व उस्मान हैदर को अभियुक्त बनाया था न्यायालय द्वारा सभी मुलजिमान को आरोपित अपराध धारा 406,420 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दिनांक 01.09.2023 को संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ उक्त आपराधिक प्रकरण संख्या 1590/2017 व अनवान राज्य बनाम खेमराज डांगी के निर्णय दिनांक 01.09.2023 की प्रति पेश की जा रही है जिसे रिकोर्ड पर लिया जाना प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय किये जाने आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त निर्णय की प्रति रिकोर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की गई।

3. प्रार्थना पत्र की सूचना अप्रार्थी/वादी को दिए जाने पर उसके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया हस्तगत वाद दीवानी प्रकृति का होने से आपराधिक प्रकरण के निर्णय की प्रति का इस प्रकरण से कोई संबंध नही है न ही उक्त निर्णय से हस्तगत प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णत करने पर सहायता प्राप्त होती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है किसी

भी सिविल वाद के निस्तारण में आपराधिक कार्यवाही व निर्णय का कोई प्रभाव नही होता हे न ही ऐसा निर्णय सिविल कार्यवाहीयों के निस्तारण में सहायक है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी के विद्धान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आपराधिक निर्णय की प्रति है जिसका सिविल कार्यवाही में कोई महत्व नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के तर्को के संबंध में पत्रावली व सुसंगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के जरिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध दर्ज करवाये गये आपराधिक प्रकरण संख्या 1590/2017 व अनवान सरकार बनाम खेमराज व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2023 की प्रमाणित प्रति को रिकोर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की है। उक्त निर्णय के अवलोकन से प्रकरण के वादी पन्नालाल द्वारा दर्ज करवाये गये आपराधिक प्रकरण में प्रतिवादी अख्तर रशीद व अन्य को दोष मुक्त किया जाना प्रकट होता है। उक्त आपराधिक प्रकरण विक्रय किये गये भूखण्ड की प्रतिफल राशि प्राप्त नही होने के संबंध में पंजीकृत करवाया गया था जो वाद की विषय वस्तु से संबंधित घटना क्रम के संबंध में आपराधिक प्रकरण के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि होकर तथा वाद की विषय वस्तु से संबंधित सुसंगत दस्तावेज होना प्रकट होता है। हस्तगत प्रकरण में अभी वादी साक्ष्य लेखबद्ध होना भी शेष है। अतः प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज के संबंध में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। फलस्वरूप प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज रिकोर्ड पर लिये जाने योग्य है।

आदेश

6. अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सिविल प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज निर्णय दिनांक 01.09.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा प्रार्थना पत्र पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(नरेन्द्र कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
उदयपुर (राज.)

7. आदेश आज दिनांक 17.08.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
उदयपुर (राज.)

न्यायालयः <u>अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,</u> उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र कुमार ,आर जे एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या–66/2021
एन.सी.वी. नंबर :–66/2021

सरोज कुमारी सोनी बनाम श्याम कुमार सोनी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं.</u>

उपस्थितः–

1. **श्री ललित शर्मा व पवन सिंघल –अधिवक्ता**–प्रार्थी/वादी
2. **श्री राजेन्द्र सिंह राठौड व श्री आर के जैन –अधिवक्ता** –अप्रार्थी/प्रतिवादी ।

<u>:: आदेश ::</u> **दिनांक– 17.07.2026**

दीवानी मूल प्रकरण संख्यां.–83/2026
एन.सी.बी नम्बर :– 83/2026
पन्नालाल बनाम अख्तर रशीद
आदेश दिनांक 17.08.2026

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 12.01.2023 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती सरला सोनी व प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती सुशीला सोनी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में जो कथन किये गये है उनके गलत होने से स्पष्टीकरण हेतु वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब पेश किया जा रहा है जिसे रिकोर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की गई।

3. प्रार्थना पत्र की सूचना अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को दिए जाने पर उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे में ऐसा कोई कथन नही किया गया है जो गलत हो तथा उसका जवाब देने हेतु वादीगण को स्पष्टीकरण हेतु जवाबुल जवाब प्रस्तुत करना पडे। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण की वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया गया जिसकी वादीगण को अपेक्षा नही थी। वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब के माध्यम से नवीन तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, जो विधि अनुसार अनुज्ञात नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी /वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की। जवाब के समर्थन में सरला सोनी व सुशीला सोनी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा जवाब में ऐसा कोई कथन नही किया गया जिसका जवाबुल जवाब अनुज्ञात किया जा सकता। प्रार्थी/वादीगण द्वारा विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने कि प्रार्थना की गई। जवाब के समर्थन में सिराजुद्दीन का शपथ पत्र पेश किया गया।

4. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए निवेदन किया जवाब के माध्यम से प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त व नवीन तथ्यों का जबाववुल जबाव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। इसके विपरीत अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थना अस्पष्ट तथ्यो पर आधारित है जबाव के माध्यम से किन्हीं अतिरिक्त व नये तथ्यों का समावेश नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. उभय पक्षों के तर्को के संबंध में पत्रावली व सुसंगत विधि के प्रावधानों का

अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के जरिए अपने पिता चतुरसिंह के मालिकाना हक की प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त जायदाद जिसका निस्तारण वसीयत दिनांक 17.01.1998 के जरिए अपने तीनों पुत्रों, वादीगण एवं अप्रार्थीसंख्या–1 के पक्ष में किया गया था को आधार बनाते हुए विभाजन व घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा इन तथ्यों का खण्डन करते हुए दिनांक 17.01.1998 की वसीयत के जरिए चतुरसिंह जी द्वारा अपनी पत्नी शान्तिदेवी को समस्त मालिकाना अधिकार प्रदान करना एवं तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या–1 की माता शान्तिदेवी द्वारा अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित करने का नवीन आधार प्रस्तुत किया गया है इसके अतिरिक्त भी अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कई नवीन व अतिरिक्त कथनों का उल्लेख किया गया है। विधि अनुसार अतिरिक्त व नवीन कथनों के संबंध में प्रार्थी को जवाबबुलजवाब प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सुप्रीम (एपी) 860 बअनवान टी. लक्ष्मणकुमार बनाम जी.लक्ष्मीकांता रेड्डी से भी यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि अप्रार्थी द्वारा जबावदावे के माध्यम से प्रस्तुत अतिरिक्त व नवीन तथ्यो का जबाववुल जबाव प्रस्तुत करने का प्रार्थी को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में वर्णित अतिरिक्त व नवीन तथ्यों का जवाबबुल जवाब रिकार्ड पर लिए जाने हेतु प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. अतः प्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित ध ाारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जवाबबुल जवाब को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा प्रार्थना पत्र पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(नरेन्द्र कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
उदयपुर(राज.)

7. आदेश आज दिनांक 17.07.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
उदयपुर(राज.)

न्यायालयः <u>अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,</u> उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र कुमार ,आर जे एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या–08/2017
एन.सी.वी. नंबर :–64/2017

मुरलीधर पुरोहित बनाम कैलाश व्यास वगैरा

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं.</u>

उपस्थितिः–

1. **श्री अशोक भट्ट–अधिवक्ता**–वादी।
2. **श्री अरूण व्यास–अधिवक्ता** –अप्रार्थगण।

दीवानी मूल प्रकरण संख्यां.–83/2026
एन.सी.बी नम्बर :– 83/2026
पन्नालाल बनाम अख्तर रशीद
आदेश दिनांक 17.08.2026

:: आदेश :: **दिनांक– 13.07.2026**

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता दिनांक 25.05.2026 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी की ओर से न्यायालय में मानहानि का वाद प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। प्रार्थी/वादी द्वारा मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथ पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है परन्तु प्रार्थी वादी के वृद्धावस्था व बीमार होने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नही हो सका था, इस कारण प्रार्थी वादी की साक्ष्य बंद कर दी गई। प्रार्थी/वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किए जाने पर प्रार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी वादी को साक्ष्य में अवसर दिये जाने की प्रार्थना की।

3. प्रार्थना पत्र की सूचना अप्रार्थी/अप्रार्थीको दिए जाने पर एवं उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण दिनांक 30.05.2019 से साक्ष्य वादी में लंबित चला आ रहा था। साक्ष्य वादी में 4 वर्ष बाद दिनांक 09.01.2023 को वादी द्वारा अपनी साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व मुख्य परीक्षण हेतु कई अवसर प्राप्त किये गये। इस प्रकार न्यायालय दिनांक 16.12.2025 को साक्ष्य वादी का अवसर समाप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। हस्तगत प्रकरण कई वर्षो से लंबित होकर करीब 7 वर्ष से साक्ष्य वादी में नियत रहा है व प्रार्थी वादी को साक्ष्य के कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 16.12.2025 को वादी साक्ष्य का अवसर समाप्त किये जाने के भी 5 पेशियो के पश्चात यह आवेदन प्रस्तुत किया गया जो वादी की घोर लापरवाही को दर्शित करता है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना सव्यय खारिज किये जाने की प्रार्थना की

4. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी वादी के विद्धान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने की प्रार्थना की। इसके विपरीत अप्रार्थी/अप्रार्थीअधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात साक्ष्य वादी का अवसर समाप्त किया गया है। इसके लम्बे समय उपरान्त बहस अंतिम के प्रक्रम पर यह आवेदन पेश किया गया है जिसे सव्यय खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. उभय पक्षों के तर्को के संबंध में पत्रावली व सुसंगत विधि के प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी/वादी द्वारा हस्तगत वाद मानहानि व दिलाए जाने हर्जाना हेतु अप्रार्थीकैलाश व्यास व अन्य के विरूद्ध दिनांक 11.04.2017 को प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 05.04.2019 को विवा़द्यक विरचित किए जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी थी। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में साक्ष्य वादी हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2019, 05.08.2019, 19.09.2019, 31.10.2019, 09.12.2019, 13.01.2020, 05.03.2022, 18.04.2022, 16.04.2023, 03.09.2023 को 12 अवसर प्रदान किए जाने के बाद दिनांक 09.01.2023 को वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था तत्पश्चात् दिनांक 02.03.2023 , 15.04.2023, 30.01.2024, 11.04.2025, 11.07.2025, 10.10.2025 को भी साक्ष्य वादी हेतु अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2025 को भी वादी साक्ष्य में गवाह के उपस्थित नहीं होने पर वादी साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर से भी कई अधिक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् भी वादी स्वयं द्वारा अपना मुख्य परीक्षण भी पूर्ण नहीं किया जाना प्रकट होता हैं। इस प्रकार न्यायालय द्वारा प्रार्थी/वादी को इस वर्ष 2017 से लम्बित प्रकरण में विधि द्वारा अनुज्ञात अवसरों से अधिक अवसर साक्ष्य वादी हेतु न्यायहित में प्रदान किए गए थे परन्तु वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने से साक्ष्य वादी का अवसर समाप्त किया गया है। साक्ष्य वादी का अवसर दिनांक 16.12.2025 को समाप्त करने के पश्चात् भी दिनांक 25.05.2026 को उक्त आवेदन अत्यधिक देरीना वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। फलस्वरूप हस्तगत नौ वर्षो से अधिक लम्बित इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी हेतु समुचित अवसर पूर्व में ही प्रदान कर दिए जाने से प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा प्रार्थना पत्र पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

दीवानी मूल प्रकरण संख्यां.–83/2026
एन.सी.बी नम्बर :– 83/2026
पन्नालाल बनाम अख्तर रशीद
आदेश दिनांक 17.08.2026

(नरेन्द्र कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
उदयपुर(राज.)

7. आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
उदयपुर(राज.)